बिहार राज्य आवास बोर्ड के नवागत ई-नीलामी से संबन्धित सामान्य पूछे जाने वाले प्रशनोत्तरों की सूची : -

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड कैसी संस्था हैं ?

उत्तर – बिहार राज्य आवास बोर्ड बिहार सरकार का लोक उपक्रम हैं जो नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अधीनस्थ राज्य स्तर पर उचित दरों पर आवासन योग्य ईकाइयों के आवंटन तथा आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करती हैं।

2. ई-नीलामी की प्रक्रिया क्या हैं ?

उत्तर – बोर्ड अधीनस्थ व्यावसायिक तथा आवासीय-सह्-व्यावसायिक संपदाओं का नीलामी के माध्यम से आवंटन करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड अधीनियम 1982 में प्रावधानित एवं शक्तियाँ प्रदत्त हैं। नीलामी में उच्चतर बोलीदाताओं को सम्पदा आवंटन किया जाता हैं। नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम तथा सहज बनाने के उद्देश्य से इस बार ऑनलाइन संपादित किया जा रहा हैं। इसी प्रक्रिया को ई-नीलामी कहते हैं।

3. पूर्व में बोर्ड द्वारा नीलामी कब की गयी थी ?

उत्तर – पूर्व में बोर्ड द्वारा नीलामी वर्ष 2012 में संपादित की गयी थी। यह नीलामी पूर्णत: Offline थी।

4. ई-नीलामी में निबंधन की क्या प्रक्रिया हैं ?

उत्तर –

❖ ई–ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को https://www.eproc2.bihar.gov.in पोर्टल में सर्वप्रथम पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदार द्वारा पूर्व में ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो, तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।

❖ https://www.eproc2.bihar.gov.in पोर्टल पर पंजीयन लिंक के द्वारा पंजीयन की **पद्धति** सर्वप्रथम **प्रयुक्त** करनी होगी। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने करने के पश्चात आपको नियम एवं शर्तो को स्वीकार करना होगा तथा विंडों में दर्शित केप्चा को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क के साथ भुगतान इसी प्रकिया में किया जाना होगा।

❖ इस प्रकिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विडों पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं।

❖ उपरोक्त प्रकिया के उपरांत आपको यूसर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर सकेंगे।

5. ई-नीलामी में कौन से दस्तावेज़/ कागजात मान्य हैं ?

उत्तर –

(क) पैन कार्ड की प्रति।

(ख) पिछले तीन साल का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति।

(ग) आधार कार्ड की प्रति। जिन बोलीदाताओं द्वारा आधार कार्ड हेतु आवेदन दिया गया हो, वैसे बोलीदाता यू0आई0डी0ए0आई0 भारत सरकार द्वारा निग्रत पावती रसीद की प्रति भी संलग्न कर सकते है।

(घ) निर्वाचन प्रमाण पत्र/विद्युत विपत्र/लैण्ड लाईन विपत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक/घरेलू गैस विपत्र/आवासीय प्रमाण के रूप में संलग्न कर सकते है।

(ड.) पासपोर्ट की प्रति (केवल एन0आर0आई0 बोलीदाताओ के लिए)।

(च) स्व हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र

(छ) दो रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।

6. ई-नीलामी हेतु कागजात कैसे जमा किए जा सकेंगे ?

उत्तर – बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगे।

7. ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखंडो का Location कैसे पता चलेगा ?

उत्तर – बोलीदाताओं के सुगमता निमित बोर्ड की वैबसाइट www.bshb.bihar.gov.in पर जा कर ई-नीलामी के पृष्ठ पर Sketch Plan, नक्शा तथा RoadMap को load कर दिया गया हैं।

8. क्या ये संभव हैं की ई-नीलामी प्रक्रिया में आवेदकों की गोपनियता भंग हो सकती हैं ?

उत्तर – नहीं। ई-नीलामी के Software को सर्वाधिक सुरक्षित तकनीक से तैयार किया गया हैं, जो SSL सिस्टम पर आधारित हैं। यह तकनीक अत्यंत आधुनिक Cryptography तकनीक पर कार्य करती हैं जिससे आवेदकों की गोपनियता और सुरक्षा अक्षुण्ण रहती हैं।

9. डिजिटल हस्ताक्षर तथा यूसर आईडी के लिए कहा संपर्क करना होगा ?

उत्तर –

क. Toll free नंबर – 18005726571

ख. ईमेल आई डी – eproc2support@bihar.gov.in

ग. हेल्पडेस्क – mjunction services limited, RJ Complex, 2nd floor, Canara Bank campus, Khajpura, ashiyana road, PS. shastri nagar, Patna – 14, Patna .

10. Auction फॉर्म फीस तथा Auction प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कैसे किया जा सकेगा ?

उत्तर – सभी तरह के भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जा सकेगा। अंगीकृत Payment Gateway के माध्यम उपलब्ध Debit card/ Credit Card/ UPI/ Wallet/ Internet banking/ इत्यादि के माध्यम से किया जा सकेगा।

11. यदि प्रस्तावित भूखंडों को आवेदक भौतिक रूप से देखना चाहें तो ये कैसे संभव होगा ?

उत्तर – आवेदकों के सुगमता के उद्देश्य से बोर्ड की वैबसाइट पर www.bshb.bihar.gov.in पर जा कर ई-नीलामी के भाग पर Sketch Plan, नक्शा तथा RoadMap को load कर दिया गया हैं, जिसके माध्यम से प्रस्तावित भूखंडों को भौतिक रूप से देखा जा सकता हैं। साथ ही सभी प्रस्तावित भूखंडों पर Sign Board भी अधिस्थापित हैं जिसके माध्यम से प्रस्तावित भूखंडों को भौतिक रूप से अवलोकन जा सकता हैं।

12. यदि प्रस्तावित भूखंडों को आवेदक भौतिक रूप से देखना चाहें तो इसके लिए अतिरिक्त सहयोग कहा से प्राप्त हो सकता हैं ?

उत्तर – इस संबंध में बोर्ड अधीनस्थ प्रमंडलों के कनीय अभियन्ताओं से संपर्क स्थापित कर वांछित सूचनाएँ प्राप्त किया जा सकता हैं –

क. श्री संजय सिंह कुशवाहा, कनीय अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना प्रमंडल – 1, हनुमान नगर, BUIDCO सम्प हाउस के निकट, पटना।

ख. श्री मनोज कुमार, कनीय अभियंता, पटना प्रमंडल – 2, बिहार राज्य आवास बोर्ड, भूतनाथ रोड, सयुक्त कार्यालय, पटना।

13. क्या राज्य के बाहर के भी आवेदक इस ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं ?

उत्तर – हाँ। इस ई-नीलामी में देश के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

14. क्या NRI इस ई-नीलामी मे भाग ले सकते हैं ?

उत्तर – कृपया नियम एवं शर्तों की कंडिका – 1 (C) का संदर्भ लेना चाहेंगे।

1.(c) The Bidder/Purchaser must be domiciled in Bihar, a citizen of India or an NRI or a person of Indian Origin (P.I.Os). The permission for NRIS & PIOS shall be governed under FEMA regulation framed under motification FEMA No. 21/2000 R.B./dated May 03,000. The person of Indian origin will mean an individual (not being a citizen of Pakistan or bangladesh or Sri Lanka or Afghanistan or China or Iran or Nepal or Bhutan), who (i) at any time, held Indian Passport, or (ii) who or either of whose father or grandfather was a citizen of India by virtue of the Citizenship Act, 1955 (57 of 955) and he or she is competent to enter into contract. Attested copy of passport to be attached with Bid application forms by NRI/PIO to establish the indentity.

15. क्या बैंक, कंपनी अथवा कोई फ़र्म इस ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं ?

उत्तर – हाँ। कृपया नियम एवं शर्तों की कंडिका – 1 (B) का संदर्भ लेना चाहेंगे।

1.(b) Public Sector Banks, Companies & Firms shall be allowed to participate in auction programme of commercial and residential-cum-commercial properties provided the premises is used for bonafide residential purpose of their staff.

16. क्या कोई आवेदक एक से ज्यादा संपदाओं पर बोली लगा सकता हैं ?

उत्तर – हाँ।

17. क्या ई-नीलामी के तहत सम्पदा लीज अथवा फ्री के रूप में आवंटित किया जाएगा ?

उत्तर – अंतिम रूप से नीलाम की गयी सम्पदा का क्रेता के नाम से हस्तांतरण की अनुमति प्रथमतः पट्टा विलेख के निष्पादन के माध्यम से ही किया जाएगा । तदोपरांत संबन्धित सम्पदा को फ्री होल्ड में परिवर्तन किया जा सकेगा ।

18. लीज की अवधि क्या होगी ?

उत्तर – 90 वर्ष

19. यदि आवेदक बोली मेन सफल नहीं घोषित नहीं होते हैं तो कितने दिनों के अंदर अग्रधन की राशि वापस कर दी जाएगी ?

उत्तर – 3 दिनों के अंदर श्रोत खाते में अग्रधन की राशि ऑनलाइन ही वापस कर दी जाएगी ।

20. बोली सफल होने के पश्चात किए दिनों के अंदर अवशेष राशि जमा करना हैं ?

उत्तर – कृपया नियम एवं शर्तों की कंडिका – **II** (6, 7 एवं 8) का संदर्भ लेना चाहेंगे ।

21. आवंटन के पश्चात भूखंड पर निर्माण हेतु बोर्ड के क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर – कृपया नियम एवं शर्तों की कंडिका – **III** का संदर्भ लेना चाहेंगे ।